

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- 377 सिवा चेन्हा - पायला खुर्द

प्रकरण सं:- 82/2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/ 1432

दिनांक:- 11/6/2018

आदेश


वादी के वाद पत्र एवं पटवारी पायला खुर्द व मू.अ.नि. पायला खुर्द

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम डांगवा

तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2073-76 में खाता संख्या 36 में

वर्तमान में अशुद्ध प्रविष्टि शांकराम पुत्र दुर्गाराम के ^{आदराम उर्फ} स्थान पर शंकरलाल पुत्र

दुर्गाराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन


सहायक कलक्टर, सिणधरी

दिनांक:- 11/06/2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/ 1433-1435

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामंद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री शंकरलाल दुर्गाराम निवासी डांगवा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलक्टर, सिणधरी